प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2017**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड मद में भारत सरकार से Financial Incentive के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 240.22 करोड के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 160.1467 करोड़ को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5798/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016-17, दिनांक- 24.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड मद में भारत सरकार से Financial Incentive के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17017/3/2017-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-354084), दिनांक-28.02.2017 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2,40,22,00,000.00 (रूपये दो अरब चालीस करोड़ बाईस लाख मात्र) के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 1,60,14,67,000.00 (रूपये एक अरब साठ करोड़ चौदह लाख सरसठ हजार मात्र) को पीएमजीएसवाई-1 में कोई भी धनराशि अवशेष न होने के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन, स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-206-दस/2017, दिनांक-31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-8/2017/पी-199 (1)/अड्तीस-9-2017, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
3- श्री प्रिय रंजन, निदेशक (आर0सी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।